



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा चतुर्दश सत्र अंक-06

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2022

(श्रावण 5, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 11.26 बजे स्थगित की जाकर 11.38 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

तारांकित प्रश्न संख्या 02 से 05 एवं 07 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री कुलदीप जुनेजा अनुपस्थित रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री विद्यारतन भसीन के स्थान पर श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य अधिकृत रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 24 तारांकित एवं 46 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

- (1) श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, जांच समिति ने प्रस्ताव किया कि "कृषि विभाग में सामग्री प्रदायकर्ता कम्पनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड/डीबार/प्रतिबंधित किये जाने और इससे संबद्ध विषयों की जांच हेतु गठित समिति" का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।
- (2) श्री संतराम नेताम, सभापति, जांच समिति ने प्रस्ताव किया कि "शैक्षणिक संस्थाओं में हाजिरी हेतु बायोमेट्रिक टेबलेट की खरीदी और इससे संबद्ध विषयों की जांच हेतु गठित समिति" का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।
- (3) श्री मोहन मरकाम, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि :-
 - (i) श्री धर्मजीत सिंह, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरुद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019,
 - (ii) श्री धनेन्द्र साहू सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा श्री कुंभन दास आडिया एवं श्री अंबरीश आडिया के विरुद्ध समिति को सन्दर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 10.11.2020,
 पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

- (1) माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि

- मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020
- (2) माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह, द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 33/2022 दिनांक 21.07.2022,
- (3) माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह, द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 34/2022 दिनांक 21.07.2022,
- (4) माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह, द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 35/2022 दिनांक 21.07.2022,

मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

5. नियम 167 (1) के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-माननीय सदस्य श्री चंदन कश्यप द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह, प्रबंधक (निलंबित), छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 32/2022 दिनांक 04.07.2022 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

6. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यगण, अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होगी, उसके पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं । प्रजातंत्र की विशिष्टता का यह एक अनुपम उदाहरण है कि सत्ता पक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना देकर प्रतिपक्ष अपनी बात कहता है, सरकार की चूक, उसकी विफलता के बारे में संसदीय प्रक्रिया अंतर्गत इस सर्वोच्च मंदिर में अपनी बात कहता है । मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि कृपया जब आप अपने भाषण में अपने विचार व्यक्त करेंगे तो अनावश्यक आरोपों से बचें, आरोपों की पुनरावृत्ति ना करें, किसी सदस्य द्वारा जिस तथ्य का उल्लेख कर दिया जाये, उसी को दोबारा मत कहें । इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अनुरोध यह है कि कृपया अपनी बात कहते समय शिष्टता, शालीनता, गरिमा तथा संसदीय शब्दावली का प्रयोग करें तथा सदन की गरिमा का भी ध्यान रखें ।

ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप नाम से मत लगायें, जो सदन का सदस्य नहीं है । यथासंभव एक-दूसरे के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना व्यक्त करते हुए अपनी बात कहें । एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत आरोप लगाने से भी आपको बचने का प्रयास करना चाहिए । आशा है कि आप सभी इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे । चर्चा प्रारंभ करते हैं । आईए, आज के वन डे मैच में जो ओपनर बैट्समैन है, मैं उनका स्वागत करता हूँ ।

7. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिये समय निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने समय निर्धारण के संबंध में सदन को सूचित किया कि :-

- (1) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- 4 घंटे 8 मिनट ।
- (2) भारतीय जनता पार्टी - 56 मिनट ।
- (3) भारतीय राष्ट्रीय जनता कांग्रेस पार्टी- 17 मिनट ।
- (4) बहुजन समाज पार्टी - 9 मिनट ।

8. मंत्रि-मंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं उनके मंत्रि-मंडल के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप पत्र की प्रति सभा पटल पर रखी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री पुन्नूलाल मोहले,

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री (जारी)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 04.10 बजे स्थगित की जाकर 04.37 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-3 का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

सर्वश्री धनेन्द्र साहू, शिवरतन शर्मा (जारी)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 06.24 बजे स्थगित की जाकर 06.36 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री शिवरतन शर्मा

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 06.48 बजे स्थगित की जाकर 06.58 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

9. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज पूर्व अध्यक्ष विधानसभा, श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है।

10. मंत्रि-मंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (क्रमशः)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धर्मजीत सिंह, डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री, श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चन्द्राकर, श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सौरभ सिंह, देवेन्द्र यादव, नारायण चंदेल, शैलेश पाण्डेय, रजनीश कुमार सिंह, संतराम नेताम,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

11.सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

पंचम विधानसभा का यह चौदहवां सत्र जो कि पावस सत्र है, उसका अंतिम कार्यदिवस है, यह सत्र 20 जुलाई से 27 जुलाई 2022 तक आहूत रहा, इस 8 दिवसीय सत्र में कुल 6 बैठकें सम्पन्न हुईं, आज सत्र समापन के अवसर पर मैं सर्वप्रथम सत्र के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग के लिए सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एवं आप सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

इस सत्र आरंभ होने के पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ। माननीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की 15 वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुईं, मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें सादर बधाई देता हूँ एवं अपेक्षा करता हूँ कि उनका आशीष और स्नेह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को विशेष तौर पर प्राप्त होगा।

यह हमारे लिए उपलब्धि है कि इस पावस सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास से जुड़े प्रत्येक विषयों पर आप माननीय सदस्यगणों ने सार्थक परिणाममूलक चर्चा की है। संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी अपेक्षा यह होती है कि पक्ष प्रतिपक्ष लोकहित के मुद्दे पर एकमत हों, छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए यह गौरव का विषय है कि यह पवित्र सदन राज्य के विकास और सुखमय भविष्य के लिए वचनबद्ध है। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि इस पावस सत्र में दो महत्वपूर्ण अशासकीय संकल्पों को आप पक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यगणों ने सर्वमतेन पारित किया। छत्तीसगढ़ विधान सभा की उच्च संसदीय परम्पराओं का यह भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि आपके इन प्रयासों से विधायिका का सम्मान बढ़ा है। संसदीय लोकतंत्र को मजबूती देने में आपकी सहभागिता प्रशंसनीय है।

छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है यहां की संपूर्ण व्यवस्था कृषि पर आधारित है और जब यहां का किसान संपन्न और प्रसन्न होगा तब राज्य के विकास की परिभाषा पूर्ण होगी। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को किसानों के विषय में लिये गये निर्णय के लिये बधाई देता हूँ वहीं माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री धरमलाल कौशिक जी, मुख्य प्रतिपक्ष के सभी सदस्यगण जनता कांग्रेस के दल नेता माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के माननीय श्री केशव चन्द्रा जी एवं उनके दलों के अन्य सदस्यों को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने राज्य के किसान भाईयों के हितों के संरक्षण के लिये बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से अपनी बात को रखा है।

अब मैं आपको इस पावस सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा। इस पावस सत्र की कुल 6 बैठकों में लगभग 37 घंटे 10 मिनट चर्चा हुई, इन 6 बैठकों में 51 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 8.5 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 459 एवं अतारांकित प्रश्नों की 435 सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 894 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 252 सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिसमें से 76 सूचनाएँ ग्राह्य तथा 155 अग्राह्य हुई एवं 21 सूचनाएँ शून्यकाल में परिवर्तित हुई। ग्राह्य ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में से 9 विषय से संबंधित सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई तथा 1 ध्यानाकर्षण की सूचना व्यपगत हुई। इस सत्र में स्थगन की कुल 89 सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिसमें से 75 सूचनाएँ अग्राह्य हुई तथा एक विषय से संबंधित 14 स्थगन की सूचनाओं की ग्राह्यता पर सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में नियम-139 के अंतर्गत 1 सूचना प्राप्त हुई जो अग्राह्य हुई। शून्यकाल की 49 सूचनाएँ प्राप्त हुई

जिसमें 28 सूचनाएं ग्राह्य और 21 सूचनाएं अग्राह्य रही। वर्तमान सत्र में 89 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं, जिनमें 38 ग्राह्य व 43 अग्राह्य रही। इस सत्र में अशासकीय संकल्प की 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 6 ग्राह्य एवं 5 अग्राह्य हुए और 2 अशासकीय संकल्प चर्चा उपरांत स्वीकृत हुए। इस सत्र में एक शासकीय संकल्प की सूचना प्राप्त हुई एवं चर्चा उपरांत स्वीकृत हुआ। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 13 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 4 घंटे 48 मिनट चर्चा हुई। पंचम विधानसभा के इस पावस सत्र में प्रतिपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर लगभग 12 घंटे 32 मिनट चर्चा हुई, अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया।

इस पावस सत्र समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस पावस सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ। श्री दिनेश शर्मा का यह पहला सत्र है और उन्होंने कार्यमंत्रणा समिति में हम सब से आशीर्वाद मांगा था कि यह उनका प्रशिक्षण काल होगा। आप सबने उन्हें सहयोग प्रदान किया इसके लिये मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।

देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आगामी स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए विशेष महत्व रखता है। मैं आप सभी को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की बधाई देता हूँ। सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परंपरा रही है तत्संबंध में यह अनुमान है कि पंचम विधानसभा का पंद्रहवां सत्र दिसंबर माह के द्वितीय, तृतीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है। आप सबको हरेली त्यौहार की बधाई देता हूँ।

आईये हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें।

धन्यवाद !जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ !

12. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन किया गया)

मध्य रात्रि 01.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा